

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-6, 1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7(2)() रा.छा./सान्याअवि/16/

जयपुर, दिनांक:

32755
आदेश

24/05/2016

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2016-17 की घोषणा संख्या 108 के अन्तर्गत राज्य में "निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत स्वीकृत 41 छात्रावासों जिनकी स्वीकृत क्षमता 1975 है, जो देय मैस भत्ता अनुदान राशि को चार गुणा बढ़ाये जाने की घोषणा की गई है।

घोषणा के अनुसरण में निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों के विद्यार्थियों हेतु मैस भत्ते की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 101601883 दिनांक 16.05.2016 के द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 01.05.2016 से प्रभावी होंगे।

M 23/5/16

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक : एफ 7 (2) () रा.छा./सान्याअवि/16/
प्रतिलिपि:-

32756-900

24/05/2016

1. महालेखाकार, लेखा हक/लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101601883 दिनांक 16.05.2016 के क्रम में।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. जिला कलक्टर.....।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.टी), मुख्यावास।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....।
12. संयुक्त निदेशक (योजना),/उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,।
14. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
15. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री.....।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभाग के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला कलक्टरों को ई.मेल करावे तथा उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर भी अपडेट करावें।
16. आदेश पत्रावली।

d/work/07-04-2016/doc

10M
23/5/16
ज. हरसहाय मीणा
अतिरिक्त निदेशक
(एस.सी. एस.टी.)